

प्रेषक,

ए० पी० सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
पर्यटन, उ०प्र०,  
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 18जनवरी, 2019

**विषय- जनपद अलीगढ़ में स्थित श्री ठा० बलदेवजी महाराज मन्दिर परिसर में स्थित कुण्ड के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु अग्रतर वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-4780/6-1-1(914)/2018, दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अलीगढ़ में स्थित श्री ठा० बलदेवजी महाराज मन्दिर परिसर में स्थित कुण्ड के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (यू०पी०आर०एन०एस०एस०) द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या-92/2018/1212/41-2018-100(बजट)/2017 दिनांक 29 मार्च, 2018 द्वारा रू०1,43,62,000.00 (रूपये एक करोड़ तैतालिस लाख बासठ हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू० 50,00,000.00 (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के अनुक्रम में प्रश्नगत परियोजना के अवशेष कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू० 50,00,000.00 (रूपये पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत परियोजना हेतु द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की जा रही धनराशि को कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-92/2018/1212/41-2018-100(बजट)/2017 दिनांक 29 मार्च, 2018 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।
- (2) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं०-1/ 2018/बी०-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्य को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।
- (3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।
- (4) स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।
- (6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
- (8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तान्कित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यो हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटी श्रेणी के कार्यो पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय।
- (10) प्रायोजना के आगणन में उल्लिखित वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार देय होगी तथा प्रायोजना की प्रशासकीय स्वीकृति जी0एस0टी0 के वास्तविक भुगतान की सीमा तक संशोधित समझी जायेगी। इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- (11) प्रायोजना में द्वितीय किशत की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक, पर्यटन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं महानिदेशक पर्यटन का होगा। प्रायोजना की अन्तिम धनराशि तभी अवमुक्त की जायेगी जब द्वितीय किशत की अवमुक्त की जा रही धनराशि का 75 प्रतिशत का उपभोग कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत प्रायोजना के आगणन का परीक्षण पर्यटन विभाग में आगणनों के परीक्षण के सम्बन्ध में गठित समिति के समक्ष रखते हुए करा लिया जायेगा। प्रायोजना की प्रशासकीय स्वीकृति उक्त समिति की संस्तुति के अनुसार संशोधित समझी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- प्रस्तर-2 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0 पी0 सिंह)

उप सचिव

**संख्या-26/2019/3623(1)/41-2018-100(बजट)/2017 दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, अलीगढ़।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0), लखनऊ।
- 8- अधिशाषी अभियन्ता, यू0पी0आर0एन0एस0एस0 निर्माण खण्ड, अलीगढ़-प्रथम।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
- 10- उप निदेशक, पर्यटन, आगरा।
- 11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
- 12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0 पी0 सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।